निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 539/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सुखदेव पुत्र हरिनारायण जाति बलाई, निवासी ग्राम सिरसी, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी एवं सहायक कलक्टर आमेर, जिला जयपुर।
2. मंगलाराम पुत्र पेमाराम जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसी तहसील जालसू, जिला जयपुर।
3. कैलाश पुत्र रामदेव,
4. जगदीश पुत्र हनुमान,
5. पप्पू पुत्र पूरा,
6. श्योपाल पुत्र भूरा,

समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम सिरसी तहसील जालसू, जिला जयपुर।

7. रमसीलाल पुत्र कजोड़मल जाति बलाई, निवासी ग्राम धावास, तहसील व जिला जयपुर।
8. राजू पुत्र पूरा,
9. लक्ष्मण पुत्र हनुमान,
10. हरिनारायण पुत्र भैरूराम (फौत),
    10/1. सुरेश पुत्र हरिनारायण,
    10/2. संतोष पुत्र हरिनारायण,

समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम सिरसी, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत सहायक कलक्टर आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 34/2025 ब उनवानी मंगलाराम बनाम कैलाश व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री रामकिशोर चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मोहन लाल जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 09.10.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 34/2025 ब उनवानी मंगलाराम बनाम कैलाश व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री मोहन लाल जाट, अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

विचाराधीन है। उक्त वाद में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को बिना किसी सूचना व नोटिस के ही प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर प्रकरण में एकपक्षीय प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी कर दी। जैसे ही प्रार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी हुई तो प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर नकल प्राप्त की तथा वकालतनामा प्रस्तुत किया, इसके पश्चात दिनांक 4.7.2025 से 11.7.2025 नियत की गई। दिनांक 11.7.2025 को न्यायालय में पत्रावली पेश नहीं हुई और ना ही कॉज लिस्ट में तारीख पेशी अंकित की गई, इसके पश्चात पत्रावली बिना किसी सूचना के ही दिनांक 17.7.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत हुई, जिस दिन कुर्रेजात प्रस्ताव न्यायालय में प्राप्त हुए, जिस पर प्रार्थी द्वारा कहा गया कि आज कुर्रेजात प्राप्त हुए है, मैं इसकी नकल लेकर ऐतराज पेश करूंगा। प्रार्थी द्वारा एतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि एतराज प्रार्थना पत्र को आज ही निर्णीत कर दावा निर्णीत करूंगी। इसके पश्चात प्रकरण मे दिनांक 25.7.2025 नियत कर दी गई, जैसे ही प्रार्थी न्यायालय से बाहर आया तो अप्रार्थी संख्या 2 ने कहा कि तुम्हें जो करना है, कर लो, 'तुम्हारा प्रार्थना पत्र कल खारिज होकर हमारा विभाजन हो जाएगा, पीठासीन अधिकारी से हमारी बात हो गई है। अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर उक्त प्रकरण में अपने पक्ष में निर्णय करवाना चाहते है। गत कई पेशियों से पीठासीन अधिकारी से मिलता रहता है, अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है, तुम जानते नहीं हम ऊंची राजनैतिक पहुंच वाले है। अप्रार्थीगण की उक्त हरकतों को देखकर प्रार्थी आश्चर्य चकित हो गया कि ये कैसे हुआ? जब अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी से मिल गया है, तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असंभव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त प्रकरण में न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को भी खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

सहायक कलक्टर आमेर के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है,

जिला कलक्टर
जयपुर

जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner